न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला–पाली

पीठासीन अधिकारीः– मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः– 63/2024

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. रतनसिंह उर्फ मानमहेन्द्रसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपुरोहित निवासी रामासनी बालां तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

दिनांक :– 01/03/25

–: निर्णय :–

1. अधिवक्ता वादी ने राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम रामासनी बाला, तहसील सोजत, जिला पाली मे वादी की कब्जा कास्त सूदा एवं खरीद सूदा कृषि भूमि आई हुई है। जिसके खसरा नम्बर 847/1363 रकबा 1.5700 हैक्टर, खसरा नम्बर 150 रकबा 1.0200 हैक्टर है। वादस्थ कृषि भूमि खसरा नम्बर 150 रकबा 1.0200 हैक्टर पुर्व मे शिवसिंह पुत्र चतरसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी रामासनी बाला तहसील सोजत की खातेदारी हक हकूक की दर्ज थी। शिवसिंह पुत्र चतरसिंह ने अपनी उक्त कृषि भूमि दिनांक 18/09/1995 को 25,000/– रूपये मालियत राशि प्राप्त कर वादी को बेचान कर दी थी तथा उसी रोज मौके पर चल कर वादी को बेचान कर्ता ने भौतिक कब्जा सुपुर्द कर दिया। तब से निरन्तर आज दिन तक वादस्थ कृषि भूमि पर वादी का मौके पर अनवरत कब्जा काश्त शान्ति पूर्वक चला आ रहा है। इसी प्रकार वादस्थ कृषि भूमि खसरा नम्बर 847/1363 रकबा 1.5700 हैक्टर पुर्व मे गंगादेवी बेवा मोहनसिंह एंव उनके नाबालिग पुत्र सुमेरसिंह पुत्र श्री मोहनसिंह जाति राजपुरोहित के नाम से दर्ज थी। गंगादेवी बेवा मोहनसिंह ने अपने पुत्र सुमेरसिंह पुत्र मोहनसिंह के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए सुमेरसिंह पुत्र मोहनसिंह का सम्पूर्ण हिस्सा दिनांक 17/11/87 को 13,500/– रूपये मालियत राशि प्राप्त कर वादी व भाई भगवानसिंह को जरिये कुदरती वलीया माता कमलाकॅवर पत्नि मोतीसिंह को बेचान कर दी थी तथा उसी रोज मौके पर चल कर वादी की माता को बेचान कर्ता ने भौतिक कब्जा सुपुर्द कर दिया। तब से उक्त खसरा जात की कृषि भूमि पर वादी का 1/2 हिस्से पर एवं भाई भगवानसिंह का 1/2 हिस्से पर निरन्तर आज दिन तक मौके पर अनवरत कब्जा काश्त शान्ति पूर्वक चला आ रहा है। उक्त खरीद कृषि भूमि के रजिस्टर्ड बेचान नामा मे वादी का नाम मानमहेन्द्रसिंह पुत्र श्री मोतीसिंह जाति राजपुरोहित निवासी रामासनी बाला तहसील सोजत दर्ज हो गया है जिसके कारण उक्त बेचान नामा के आधार पर म्यूटेशन व जमाबन्दी मे मानमहेन्द्रसिंह पुत्र श्री मोतीसिंह जाति राजपुरोहित निवासी रामासनी बाला तहसील सोजत दर्ज हो चुका है। जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम रतनसिंह पुत्र श्री मोतीसिंह है। मानमहेन्द्रसिंह पुत्र मोतीसिंह एवं रतनसिंह पुत्र श्री मोतीसिंह दोनो ही एक ही व्यक्ति के दो नाम है। वादी को घर परिवार एवं समाज मे रतनसिंह पुत्र श्री मोतीसिंह के नाम से जाना एवं पहचाना जाता है। वादी के पहचान सम्बंधित

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी लेखा संख्या कार्ड (पैन कार्ड) वाहन चालक अनुज्ञा पत्र, नगरपरिषद पाली द्वारा जारी पट्टा विलेख मे रतनसिंह पुत्र मोतीसिंह दर्ज है व वादी की पुस्तैनी कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम रामासनी मे ही खसरा नम्बर 1257,1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1265, 1266, 1267, 1268, 1271 एंव 1408/1264 में रतनसिंह पुत्र श्री मोतीसिंह ही दर्ज है। उक्त रतनसिंह के स्थान पर मानमहेन्द्रसिंह नाम दर्ज हो जाने के कारण वादी भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे लघु किसानो हेतु योजनाओ का लाभ उठाने से वंचित हो रहा है तथा वादी के नाम की अशुद्धि के कारण वादी अपने हिस्से की कृषि भूमि पर ऋण वगैरा भी नहीं ले पा रहा है। जिसके वादी के खातेदारी अधिकारो पर कुठाराघात हो रहा है। वादी एक काश्तकार व्यक्ति है जिसकी मूल आय का स्त्रोत उक्त कृषि भूमि से ही होती है। उक्त नाम अशुद्धि के कारण आये दिन वादी को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। वादी मात्र साक्षर है, वादी को राजस्व रेकर्ड एवं कानून के बारे मे कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद प्रस्तुत कर खातेदारी हक के घोषणा की डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कदर की जारी फरमायी जावे कि वाद के पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा रामासनी बाला, तहसील सोजत के नये खसरा नम्बर 847/1363 रकबा 1.5700 हैक्टर, खसरा नम्बर 150 रकबा 1.0200 हैक्टर मे दर्ज मानमहेन्द्रसिंह पुत्र मोतीसिंह के स्थान पर रतनसिंह पुत्र श्री मोतीसिंह संशोधित किया जाने की ईश्तदुआ की हैं।

2. इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन वास्ते जवाब दावा हेतु तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार सोजत द्वारा जवाब दावा पेश कर पैरा सं0 01 में वर्णित कृषि भूमि ग्राम रामासनी बालां में स्थित होना, पैरा सं0 02 से 06 वादी स्वयं साबित करना तथा पैरा सं0 07 से 9 कानूनी होना अंकित किया हैं।

3. अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य वादी में वादी रतनसिंह के मुख्य परीक्षण का तस्दीक सुदा शपथ पत्र पेश किया तथा बयान पी0डब्ल्यू–1 कलम बद्ध करवाकर दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये। अपने बयानों में अंकित किया कि मैने मेरे साक्ष्य के मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया है। जिसको मेने पढ सुन समझ कर सही होना स्वीकार किया हैं मेरे शपथ पत्र में वर्णित सभी तथ्य सही व सत्य है। मेरे बयानो का मुख्य भाग है, शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी पर मैंने मेरे हस्ताक्षर किये है। मैने अपने वाद के साथ जमाबंदी संवत् 2075–2078 की खसरा संख्या 847/1363 की पेश की, जो प्रदर्श–1 है। प्रदर्श–2 जमाबंदी संवत् 2075–2078 तक की खसरा संख्या 150 की पेश की है, प्रदर्श–3 तहसीलदार सोजत को भेजा गया नोटिस की ऑफिस कॉपी व़ डाक रसीद है, प्रदर्श–4 नोटिस की ए०डी० रिसिप्ट है, प्रदर्श–5 मूल पैनकार्ड है, जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श–5 ए है, प्रदर्श–6 मूल आधार कार्ड है, जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श–6 ए है, प्रदर्श–7 मूल ड्राईविंग लाईसेंस है, जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श–7 ए है, प्रदर्श–8 कार्यालय नगर परिषद पाली द्वारा जारी पट्टा विलेख संख्या 2897 है जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श–8 ए है, प्रदर्श–9 बेचान हकुक खातेदारी (रजिस्टर्ड बेचाननामा) जो गंगादेवी ने मुझ वादी व मेरे भाई भगवान सिंह के पक्ष निष्पादित किया गया है, जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श–9 ए है, प्रदर्श–10 बेचान हकुक खातेदारी (रजिस्टर्ड बेचाननामा) जो शिवसिंह ने मुझ वादी के पक्ष निष्पादित किया गया है, जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श–10 ए है, प्रदर्श–11 शपथ पत्र है, जो नाम शुद्धि हेतु दिया गया है, जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श 11 ए है, प्रदर्श–12 मूल अखबार में छाया सूचना है, जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श–12

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

ए है। मेरी माता कमला देवी के नाम से मेरे पिता ने ग्राम रामासनी बाला में खसरा संख्या 1257 की कृषि भूमि खरीद की थी, मेरी माता का स्वर्गवास हो जाने पर फौतेदगी म्यूटेशन भरा गया है, जिसमें भी मेरा (रतन सिंह) व मेरे भाई भगवान सिंह व बहन अनिता व पिता मोती सिंह का नाम दर्ज है, जो प्रदर्श–13 है।

4. इसी प्रकार अधिवक्ता वादी में साक्ष्य वादी में गवाह मोतीसिंह के मुख्य परीक्षण का तरदीक सुदा शपथ पत्र पेश किया तथा बयान पी०डब्ल्यू–2 कलम बद्ध करवाकर दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये। अपने बयानों में अंकित किया कि मैने मेरे साक्ष्य के मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया है। जिसको मेने पढ सुन समझ कर सही होना स्वीकार किया हैं मेरे शपथ पत्र में वर्णित सभी तथ्य सही व सत्य है। मेरे बयानो का मुख्य भाग है, शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर ए से वी पर मैंने मेरे हस्ताक्षर किये है। मैंने अपने पुत्र रतन सिंह (मानमहेन्द्र सिंह) के नाम से कृषि भूमि खसरा संख्या 150 शिवसिंह पुत्र चतर सिंह से खरीद की है व खसरा संख्या 847/1363 रकबा 1.57 है० भूमि अपने दोनो पुत्र रतन सिंह (मानमहेन्द्र सिंह) एवं भगवान सिंह के नाम से खरीद की है। उक्त भूमि के मालियत के रूपये मेरे द्वारा ही चुकाये गये है। रतन सिंह व मानमहेन्द्र सिंह नाम का एक ही व्यक्ति है। रतन सिंह मेरा जाईन्दा पुत्र है। बचपन में लाड प्यार से रतन सिंह को ही मानमहेन्द्र सिंह के नाम से परिवार में जानते व पहचानते है। इसी कारण से कुछ दस्तावेजो में मानमहेन्द्र सिंह अंकित किया गया है तथा कुछ दस्तावेजो में रतन सिंह अंकित किया गया है। मेरे पुत्र का सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम रतन सिंह ही है। मेरी पत्नि कमला देवी के नाम से मैंने ग्राम रामासनी बाला में खसरा संख्या 1257 की कृषि भूमि खरीद की थी, मेरी पत्नि का स्वर्गवास हो जाने पर फौतेदगी म्यूटेशन भरा गया है, जिसमें भी मेरे दोनो पुत्रो के नाम रतन सिंह व भगवान सिंह दर्ज है।

5. बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों का दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद के पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा रामासनी बाला, तहसील सोजत के नये खसरा नम्बर 847/1363 रकबा 1.5700 हैक्टर, खसरा नम्बर 150 रकबा 1.0200 हैक्टर मे दर्ज मानमहेन्द्रसिंह पुत्र मोतीसिंह के स्थान पर रतनसिंह पुत्र श्री मोतीसिंह संशोधित किया जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिनुरूप निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दावा, जवाब दावा, गवाह बयानात, प्रदर्शित दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श–13 वादी की खातेदारी की ग्राम रामासनी बालां की ही अन्य जमाबंदी में वादी का दस्तावेजी नाम रतनसिंह पुत्र मोतीसिंह हि0 3/1024 दर्ज सुदा हैं। इसी जमाबंदी में मोतीसिंह के अन्य पुत्र भगवानसिंह पुत्र मोतीसिंह हि0 3/1024 तथा मोतीसिंह पुत्र लाबुसिंह हि0 3/1024 दर्जसुदा हैं। प्रदर्श–5ए, 6ए, 7ए दस्तावेजों में वादी का नाम रतनसिंह पुत्र मोतीसिंह दर्ज हैं। प्रदर्श–8ए नगर परिषद, पाली द्वारा जारी पट्टा विलेख में मानमहेन्द्र सिंह उर्फ रतन सिंह पुत्र मोती सिंह के नाम से जारी सुदा हैं। प्रदर्श–12ए अखबार में नाम परिवर्तन के प्रकाशन की प्रति हैं। अतः उक्तानुसार यह स्पष्ट होता हैं कि मानमहेन्द्र सिंह तथा रतन सिंह एक ही व्यक्ति के भिन्न–भिन्न नाम हैं। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज मानमहेन्द्रसिंह पुत्र मोतीसिंह के स्थान पर रतनसिंह पुत्र मोतीसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तदानुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

–: **आदेश** :–

7. अतः अधिवक्ता मय वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम रामासनी बाला, तहसील सोजत, जिला पाली मे वादी की कब्जा कास्त सूदा एवं खरीद सूदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 847/1363 रकबा 1.5700 हैक्टर, खसरा नम्बर 150 रकबा 1.0200 हैक्टर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज मानमहेन्द्रसिंह पुत्र मोतीसिंह के स्थान पर रतनसिंह पुत्र मोतीसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं, तदानुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेंजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत

8. यह निर्णय आज दिनांक 21/07/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत